

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री मांगीलाल गुर्जर नि० साईं प्रसाद बिल्डींग, शॉप नं. 7, नेरल कलम रोड, तहसील
करजत जिला रायगढ़ (महाराष्ट्र)

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द

– प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005

पत्रावली संख्या 04 / 2025

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक 27.01.2025</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से क्रमांक: एफ.1()सू०अ०,०५/२०२५/५८ दिनांक 16.01.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अपीलान्ट का आवेदन पत्र दिनांक 04.12.2024 का सूचना के अधिकार अधिनियम,०५ के तहत इस कार्यालय को 10.12.2024 को प्राप्त हुआ है। आरटीआई आवेदन के बिन्दु संख्या 01 से 03 की जो सूचना अपीलार्थी द्वारा चाही गई उसका संबंध प्रभारी अधिकारी सम्पर्क अनुभाग से होने से इस कार्यालय द्वारा प्रार्थी अपीलार्थी का आरटीआई आवेदन कार्यालय के जरिये पत्रांक 7045 दिनांक 10.12.24 से संबंधित कार्यालय को सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। आवेदन में ईप्सित बिन्दु संख्या 01 से 03 की सूचना के संबंध में प्रभारी अधिकारी सम्पर्क अनुभाग द्वारा पत्रांक 362 दिनांक 16.12.2024 से पृष्ठ संख्या 07 की सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करवा दी गई, इस कार्यालय के पत्रांक 7083 दिनांक 23.12.2024 से सूचना के अधिकार अधिनियम 05 की धारा 7(1) एवं 7(5) के तहत नियमानुसार शुल्क जमा कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया किन्तु उक्त पत्र की पालना में कोई शुल्क राशि अपीलार्थी द्वारा जमा नहीं करवायी गई, जिसके अभाव में सूचना इस कार्यालय के रिकॉर्ड में उपलब्ध है अतः प्रार्थी के आरटीआई आवेदन में बिन्दु संख्या 01 से 03 की सूचना के संबंध में प्रार्थी को निश्चित समयावधि शुल्क राशि जमा कराने हेतु पत्र प्रेषित किया। अपीलान्ट द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक</p>	



Q

सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी बिन्दु संख्या 1 से 3 की सूचना के संबंध में अपीलार्थी को निश्चित समयावधि में शुल्क राशि जमा करा सूचना प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था।

अतः अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना हेतु कार्यालय हाजा में उपस्थित होकर नियमानुसार राशि जमा करा कर वांछित सूचना प्राप्त करे। उक्त अपील को इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

